RNI No. MAHBIL /2009/31730
Reg. No. MCS/170/2016-18

महाराष्ट्र शासन राजपत्र

असाधारण भाग सात

वर्ष ३, अंक ८] **बुधवार, मार्च २२, २०१७/चैत्र १, शके १९३९** **[पृष्ठे ५, किंमत : रुपये ४७.००**

असाधारण क्रमांक १४

प्राधिकृत प्रकाशन

अध्यादेश, विधेयके व अधिनियम यांचा हिंदी अनुवाद (देवनागरी लिपी)

महाराष्ट्र विधानमंडल सचिवालय

महाराष्ट्र विधानसभा में दिनांक २२ मार्च २०१७ ई.को. पुर:स्थापित निम्न विधेयक महाराष्ट्र विधानसभा नियम १७७ के अधीन प्रकाशन किया जाता है :—

L. A. BILL No. IX OF 2017.

A BILL

TO AMEND THE MAHARASHTRA PARAMEDICAL COUNCIL ACT, 2011.

विधानसभा का विधेयक क्रमांक ९ सन् २०१७।

महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद अधिनियम, २०११ में संशोधन संबंधी विधेयक।

सन् २०१६ का महा. ६।

क्योंकि इसमें आगे दर्शित प्रयोजनों के लिये, महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद अधिनियम, २०११ में संशोधन करना इष्टकर है; इसलिए, भारत गणराज्य के अड़सठवें वर्ष में, एतद्द्वारा, निम्न अधिनियम अधिनियमित किया जाता है।

संक्षिप्त नाम।

(१) यह अधिनियम महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद (संशोधन) अधिनियम, २०१७ कहलाएँ।

(२) यह ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसें राज्य सरकार, **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करें।

सन् २०१६ का महा. ६ के दीर्घ शीर्षक में संशोधन।

२. महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद अधिनियम, २०११ (जिसे इसमें आगे, " मूल अधिनियम " कहा गया है) के दीर्घ शीर्षक में, " पराचिकित्सा व्यवसायियों " शब्दों के स्थान में, " पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखे जायेंगे। सन् २०१६ का महा. ६।

सन् २०१६ का महा. ६ की उद्देशिका में संशोधन।

३. मूल अधिनियम की उद्देशिका में, " पराचिकित्सा व्यवसायियों " शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखे जायेंगे।

सन् २०१६ का महा. ६ की धारा २ में संशोधन।

४. मूल अधिनियम की धारा २ में,–

(क) खण्ड (ग) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

(ग-क) "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " का तात्पर्य, उसके आनुषंगिक सेवाओं या अध्यापन या व्यवसाय या मोडेम वैज्ञानिक चिकित्सा या आयुर्वेदिक प्रणाली या यूनानी प्रणाली या के दोनों चिकित्सा की होम्योपेथिक प्रणाली में उनके मूल अधिभोग के रूप में, जुडे हुए व्यक्ति से है; **";**

(ख) खण्ड (एक) के स्थान में, निम्न खण्ड रखा जायेगा, अर्थात् :–

(एक) " रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " का तात्पर्य, धारा २६ के अधीन रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक से है; "।

सन् २०१६ का महा. ६ की धारा ४ में संशोधन।

५. मूल अधिनियम की धारा ४ की, उप-धारा (१) में–

(क) खण्ड (५) के पश्चात्, निम्न खण्ड निविष्ट किया जायेगा, अर्थात् :–

(पाँच-क) महाराष्ट्र भारतीय चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष, **पदेन** सदस्य ; **";**

(ख) खण्ड (सात) में "पराचिकित्सा व्यवसायियों " शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे।

सन् २०१६ का महा. ६ की धारा १९ में संशोधन।

६. मूल अधिनियम की धारा १९ की, उप-धारा (२) में–

(क) खण्ड (घ) में "पराचिकित्सा व्यवसायियों " शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे।

(ख) खण्ड (ङ) में "पराचिकित्सा व्यवसायियों " शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे।

सन् २०१६ का महा. ६ की धारा २२ में संशोधन।

७. मूल अधिनियम की धारा २२ में–

(क) उप-धारा (३) में, " पराचिकित्सा व्यवसायियों " शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे;

(ख) उप-धारा (४) में, " पराचिकित्सा व्यवसायी " शब्दों के दोनों स्थानों पर जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे ;

(ग) उप-धारा (५) में, " पराचिकित्सा व्यवसायी " शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे।

८. मूल अधिनियम की धारा २६ में– सन् २०१६ का महा. ६ की धारा २६ में संशोधन।

(क) उप-धारा (१) में, " पराचिकित्सा व्यवसायी " शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे;

(ख) उप-धारा (२) में, " पराचिकित्सा व्यवसायी " शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे।

(ग) उप-धारा (३) में, " पराचिकित्सा व्यवसायियों " शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे।

९. मूल अधिनियम की धारा २८ की, उप-धारा (२) में, "पराचिकित्सा व्यवसायी" शब्दों के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे; सन् २०१६ की महा. ६ की धारा २८ में संशोधन।

१०. मूल अधिनियम की धारा ३१ की, उप-धारा (१) में, "पराचिकित्सा व्यवसायी" शब्द दोनों स्थानों में, जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाला कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे; सन् २०१६ का महा. ६ की धारा ३१ में संशोधन।

११. मूल अधिनियम की धारा ३२ में, " पराचिकित्सा व्यवसायी " शब्द दोनों स्थानों में जहाँ कहीं वे आये हों, के स्थान में, " पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाला कार्मिक " शब्द रखें जायेंगे। सन् २०१६ का महा. ६ की धारा ३२ में संशोधन।

उद्देश्यों तथा कारणों का वक्तव्य।

महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद विधेयक, २०११ महाराष्ट्र राज्य विधानमंडल के दोनों सदनों द्वारा पारित होने के पश्चात्, भारत के राष्ट्रपति की अनुमति १२ जनवरी, २०१६ को प्राप्त हुई है।

उक्त विधेयक अब महाराष्ट्र अधिनियम क्रमांक.६ सन २०१६ के रूप में प्रकाशित हुआ है।

उक्त विधेयक के विचाराधीन होने और राष्ट्रपति की अनुमति के लिये प्रस्तुत किये जाने के दौरान, केंद्रीय गृह कार्य मंत्रालय ने विधेयक के उपबंधों में कतिपय संशोधन सुझाए थे। राज्य सरकार, विधेयक में सुझाए गये उपबंधों के निर्गमन के लिए सहमत हैं और केन्द्रीय सरकार को सुनिश्चित किया हैं कि, इस निमित्त विधेयक संशोधनों के निर्गमन के पश्चात्, राज्य विधानमंडल के अधिनियम के रुप में कार्यान्वित किया जायेगा।

२. तद्नुसार, उक्त सन् २०१६ का महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६ में संशोधन करना इष्टकर समझा गया है।

३. प्रस्तावित संशोधनों की प्रमुख विशेषताएँ निम्न अनुसार है :—

(एक) **धारा २ में संशोधन**.—धारा २ का खण्ड (एक) "रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसायी" की परिभाषा का उपबंध करता है। उक्त परिभाषा समुचित नहीं लगती क्योंकि यह, पराचिकित्सा अर्हता धारक को डॉक्टरों समान व्यवसायी के रुप में समझा जाये, ऐसा अभिव्यक्त करती हैं। यह रोग-विषयक पेशा और अधिकारों के मामलों में विधिक तात्पर्य देने के समान हैं। इसलिये, उक्त धारा २ के यथोचित संशोधन द्वारा "पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक" और "रजिस्ट्रीकृत पराचिकित्सा व्यवसाय करनेवाले कार्मिक" की परिभाषाओं के लिये उपबंध करना प्रस्तावित हैं।

(दो) **धारा ४ में संशोधन**.—यह उपबंध करना प्रस्तावित है कि, महाराष्ट्र भारतीय चिकित्सा परिषद का अध्यक्ष, महाराष्ट्र पराचिकित्सा परिषद का **पदेन** सदस्य होगा।

(तीन) **धारा १९, २२, २६, २८, ३१ और ३२ में संशोधन**.—धारा २ के संशोधन के परिणामस्वरूप, उक्त धारा में यथोचित संशोधन करना प्रस्तावित है।

४. इसमें प्रस्तावित संशोधनो के निर्गमन के पश्चात, सन् २०१६ का महाराष्ट्र अधिनियम क्र. ६ कार्यन्वित करने का प्रस्तावित है।

५. प्रस्तुत विधेयक का आशय उपरोल्लिखित उद्देश्यों को प्राप्त करना है।

मुंबई,
दिनांकित १६ मार्च २०१७।

गिरीष महाजन,
चिकित्सा शिक्षा मंत्री।

प्रत्यायुक्त विधान संबंधी ज्ञापन।

प्रस्तुत विधेयक में विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये निम्न प्रस्ताव अन्तर्ग्रस्त है, अर्थात् :–

खंड १(२).- इस खण्ड के अधीन, यह अधिनियम ऐसे दिनांक को प्रवृत्त होगा जिसे **राजपत्र** में अधिसूचना द्वारा, नियत करने की शक्ति, राज्य सरकार को प्रदान की गई है।

२. विधायी शक्ति के प्रत्यायोजन के लिये उपर्युक्त उल्लेखित प्रस्ताव सामान्य स्वरूप का है।

(यथार्थ अनुवाद),
डॉ. मंजूषा कुलकर्णी,
भाषा संचालक, महाराष्ट्र राज्य।

विधान भवन,
मुंबई,
दिनांकित २२ मार्च २०१७

डॉ. अनंत कळसे,
प्रधान सचिव,
महाराष्ट्र विधानसभा।

ON BEHALF OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, PRINTED AND PUBLISHED BY SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI, PRINTED AT GOVERNMENT CENTRAL PRESS, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004 AND PUBLISHED AT DIRECTORATE OF GOVERNMENT PRINTING, STATIONERY AND PUBLICATION, 21-A, NETAJI SUBHASH ROAD, CHARNI ROAD, MUMBAI 400 004, EDITOR : SHRI PARSHURAM JAGANNATH GOSAVI.